न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
122/2013	30.07.2013	3/10/2023

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– मथुरालाल आत्मज तेज्या जाति चमार रेगर निवासी शोली तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा,व इन्द्राज दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि वादी को नियमानुसार ग्राम शोली की पुराने खसरां नम्बर 70 की 2 बीघा 10 बिरवा भूमि कीमतन मिसल नं0 161 दिनांक 12–6–87 से आवंटन की गयी तथा दिनांक 5–12–87 को वादी को उक्त भूमि पर दखल दिया गया

2–यह कि उपरोक्त भूमि ख0न0 72 की 2 बीघा 10 बिस्वा भमि पर वादी को दखल दिये जाने के बाद से ही वादी का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि वादी की गैरखातेदारी में दर्ज करदी गयी।

3. यह कि उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी कैसेटलमेन्ट विभाग द्वारा भप्रबंध कर दिया ओर भूप्रबंध के दौरान उपरोक्त खसरा नम्बर 72 की 2 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 141 की 0–32 हेक्टर कायम किये गये जब कि वादी का मोके पर पुराने रकबा के अनुसार 0–40 हेक्टर भूमि पर चला आ रहा है। इस प्रकार वादी के खाते में 0–08 हेक्टर भूमि कम दर्ज की गयी है। जो सिवाय चक दर्ज करदी गयी। जब कि वादी का कब्जा 0–40 हेक्टर पर चला आ रहा था। नकल मिलान क्षेत्रफल पेश है।

4 यह कि उपरोक्त भूमि में पुनः प्रतिवादी के केचमेन्ट विभाग द्वारा केचमेन्ट कार्य कर दिया गया औरू बाद केचमेट खसरा नम्बर 141 के नये खसरा नम्बर 740 की 0–30 हेक्टर कायम किये गये ओर इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में भी इन्द्राज कर दिया गया ।

5– यह कि मोके पर वादी का कब्जा खसरा नम्बर 740 की 0–30 हेक्टर व उसके पास की सिवाय चक काबिल काश्त की भूमि खसरा नम्बर 739 की 0–10 हेक्टर भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी के खाते में खसरा नम्बर 740 की 0–30 हैक्टर दर्ज है और 0–08 हेक्टर भूमि कम दर्ज की हुई है जिसकी पूर्ति सिवाय तक खसरा नम्बर 739 की 0–10 हेक्टर भूमि वादी के खाते दर्ज कर की जा सकती है।

6– यह कि वादी का खसरा नम्बर 739 की 0–10 हेक्टर भूमि पर कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिवादी द्वारा आये दिन वादी के खिलाफ धारा 91 ले०२०ए० की कार्यवाही की जाती रही है। इस वर्ष भी कार्यवाही केस नं0 1043/13 से नोटिस जारी कर दिये गये है। इस कारण वादी के खाते भूमि कम दर्ज की गयी है उसके स्थान पर खसरा नम्बर 739 की 0–10 हेक्टर भूमि से पूर्ति किया जाना व खाते दर्ज कर खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

5. यह कि वादी ने प्रतिवादी के कर्मचारियों व अधिकारियों को वादी के खाते पुराने रकबा के अनुसार रकबा सही अंकित करने के लिये व सिवायचक ख0न0 739 की 0–10 हेक्टर भूमि वादी के खाते दर्ज करने के लिये दिनांक 17–7–3013 को कहा तो प्रतिवादी के कर्मचारियों को कोई ध्यान नही दिया। बल्कि वादी के खिलाफ धारा 91 ले०रे०ए० की कार्यवाही चालू रखने की धमकी दी।

6. यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज, व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है।

7. यह कि वाद कारण प्रतिवादी के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के कार्य के दौरान भूमि का रकबा कम दर्ज करने व प्रतिवादी के कर्मचारियों से इन्द्राज दुरूस्त करने की कहने पर कोई कार्यवाही नही करने पर व धारा 91 ले०रे०ए० की कार्यवाही चालू रखने की धमकी दिनांक 17–7–2013 को देने पर उत्पन्न हुआ।

8 यह कि वादग्रस्त भूमि की लेण्ड होल्डर राजस्थान राज्य प्रतिवादी होने से उसे वाद में पक्षकार बनाया जाकर वाद पेश किया जा रहा है।

9– यह कि उक्त वाद में मामला अरजेन्ट एंव इमीजिएट रिलीफ से संबंधित है इस कारण प्रतिवादी को वाद पेश करने से पूर्व दो माह का नोटिस धारा 80 (2) जा०दी० के तहत नोटिस नहीं दिया गया है ओर बिना नोटिस दिये यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

10. यह कि माननीय न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है कारण कि वादग्रस्त भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। ओर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे–

1. कि वाके ग्राम शौली तहसील दीगोद की पुराने खसरा न 72 की 2 बीघा 10 बिस्वा के अनुसार बाद सेटलमेन्ट व बाद केचमेन्ट दर्ज खसरा नम्बर 740 की 0–30 हेक्टर के अनुसार कमी रकबा खसरा नम्बर 739 की 0–10 हेक्टर भूमि से करते हुये उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। व उक्त भूमि वादी के खाते दर्ज की जावे।

2. कि प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

3. कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी वादी को वाके ग्राम शौली तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 739 की 0–10 हेक्टर भूमि से बैदखल नहीं करे ओर न धारा 91 ले०२०५० की कार्यवाही करे। ओर न उक्त भूमि किसी अन्य को आवंटन करे।

4. कि वादी को प्रतिवादी से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावे।

5. कि अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः–

1– नकल जमाबंदी ग्राम शोली सम्वत 2066–2069
2– नकल फर्द इख्तलाफ ग्राम शोली केचमेन्ट
3– नकल मिलान क्षैत्रफल संवत् 2043–2062
4– नोटिस धारा 91
5– नक्शा ट्रेस

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य मे स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पूर्व से ही शामिल मिसल है। तत्पश्चात प्रकरण को बहस पर नियत कर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अध्ययन, अवलोकन व बहस के कथनों पर मनन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में वादी सिवायचक भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की रिलीफ चाहता है किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को साबित करने में सफल नही रहा है इस कारण वादी का वाद स्वीकार करने योग्य नही है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– मथुरालाल आत्मज तेज्या जाति चमार रेगर निवासी शोली तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा,व इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नं 122/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 3/10/25 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद